

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक: स्था. (रा. न्या. से.) सं. प. अ. : 97 / 2021

दिनांक 09.07.2021

श्रीमती बीना जैन (R.J0307), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम 01, वाराणों दिनांक 12.07.2021 से 25.08.2021 तक 45 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.07.2021 से 11.07.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अजय कुमार शर्मा-II (R.J0265), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम 02, वाराणों श्रीमती बीना जैन के एक अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथसाथ विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, वाराणों के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादन किये जाने हेतु पदद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समर्थन निम्नारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निम्नारण किया जावे।
2. श्री अजय कुमार शर्मा-II (R.J0265), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, वाराणों के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को एक न्यायालय के कार्य का निम्नारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 10% किया जाना आवश्यक है।


आज्ञा में

दिनांक 09.07.2021
रजिस्ट्रार (सर्गिकरण)

क्रमांक : स्था.वी.र(4)/10/2000/ 4305

दिनांक 09.07.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख जमानत सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, वाराणों दिनांक 05.07.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती बीना जैन (R.J0307), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, वाराणों।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, वाराणों।
5. श्री अजय कुमार शर्मा-II (R.J0265), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, वाराणों।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, वाराणों।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित विधिक/स्थानान्तरण पदस्थापन विधिक, आर. जे. एन. (स्था.) शाखा राजस्थान, जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार